भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †648

दिनांक 22.07.2026 को उत्तर देने के लिए

खनन से प्रभावित समुदायों का कल्याण

† 648. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खनन से प्रभावित समुदायों को स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय अवसंरचना के क्षेत्रों में अपेक्षित लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) के दायित्वों के अनुपालन की निगरानी किस प्रकार की जा रही है; और

(ख) देशभर में अवैध खनन पर अंकुश लगाने और खनिजों के उत्खनन, परिवह्न और रॉयल्टी संग्रहण की वास्तविक समय की निगरानी में सुधार के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क): प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) दिशानिर्देश, 2024 के अनुसार, डीएमएफ निधियों के व्यय को अनुमोदित करने का अधिकार डीएमएफ की शासी परिषद् के पास है, जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसमें सांसद, विधायक और एमएलसी जैसे निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। इसके अलावा, दिशानिर्देशों में डीएमएफ के कार्य-निष्पादन, पारदर्शिता मानदंडों के अनुपालन, लेखा-परीक्षा आवश्यकताओं और वार्षिक रिपोर्टिंग दायित्वों की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति के गठन का प्रावधान है।

इसके अलावा, डीएमएफ निधियों के उपयोग में जवाबदेही और पारदर्शिता को सुदृढ़ बनाने के लिए, दिशानिर्देशों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार सीएजी द्वारा डीएमएफ खातों की लेखा-परीक्षा करने का प्रावधान है। इसके अलावा, खान मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में सभी डीएमएफ को सीएजी द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट के माध्यम से डीएमएफ खातों की वार्षिक लेखा-परीक्षा करने का निर्देश दिया।

(ख): खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग राज्य सरकार को अवैध खनन को रोकने और खनिजों के निष्कर्षण, ढुलाई और भंडारण की वास्तविक समय निगरानी में सुधार करने और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9 में खनन पट्टे के धारक को अधिनियम की अनुसूची-2 में अधिसूचित दरों के अनुसार खनिजों के लिए रॉयल्टी का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। इसलिए, ये मामले मुख्य रूप से राज्य सरकार के दायरे में आते हैं। तथापि, केंद्र सरकार ने देशभर में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ कदम इस प्रकार हैं:

(i) एमएमडीआर अधिनियम, 1957 को एमएमडीआर (संशोधन) अधिनियम, 2015 के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसमें धारा 21 और 23ग के साथ पठित धारा 30ख और 30ग में, अन्य बातों के साथ-साथ, अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान किया गया है। इन्हें पांच वर्ष तक के कारावास और प्रति हेक्टेयर पांच लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय बनाया गया है। खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण से संबंधित अपराधों के मुकदमे की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

(ii) खान मंत्रालय ने भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो-इन्फॉर्मेटिक्स (बायसेग), गांधीनगर के सहयोग से खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए अवैध खनन की घटनाओं का पता लगाना और अवैध खनन की घटनाओं की जांच के लिए पट्टा सीमा के 500 मीटर बाहर तक के क्षेत्र की निगरानी करना है।
